न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 180/2013 (2013/00236)

1. रोडू पुत्र रामा जाति गुर्जर उम्र 50 साल, निवासी ग्राम खातोली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
2. श्योजी पुत्र रामा जाति गुर्जर उम्र 43 साल, निवासी ग्राम खातोली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज
3. रंगलाल पुत्र रामा जाति गुर्जर उम्र 36 साल, निवासी ग्राम खातोली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०

– प्रार्थीगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार , किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०

–अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थीः– श्री रामदेव गुर्जर

वकील अप्रार्थी :– श्री पैरोकार सरकार

, दिनांक 26.04.2025

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते खातेदारी की उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री चाहने हेतु पेश किया गया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है परन्तु वाद के निस्तारण में समय लगना स्वभाविक है इसलिए वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है, प्रार्थीगण ग्राम खातोली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के स्थायी निवासी है एवं पैशे से कृषक के रूप में कार्य करते है। प्रार्थीगण ग्राम खातोली पटवार क्षेत्र खातोली के पूर्व खसरा नम्बर 563 हाल खसरा नम्बर 428 कुल रकबा 85 बीघा 13 बिस्वा जिसमें प्रार्थीगण संयुक्त रूप से 10 बीघा भूमि में विगत 31–32 वर्षों से लगातार काबिज काश्त करते चले आ रहे है, प्रार्थीगण उक्त आराजी को अथाह आर्थिक व शारीरिक परिश्रम करके उपरोक्त आराजी को अधिक उपजाऊ योग्य बना कर तैयार किया गया है। प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित आराजी में चौतरफा पेड़ लगाकर वर्षा के पानी की आवक से उपजाऊ मिट्टी का बहाव न हो इस कारण से भी चौतरफा सीमा में पेड़ लगाये है जो वर्तमान में मौजुद है। प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी में निर्बाध, निरन्तर रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है जो संवत 2038 से वर्तमान संवत 2070 तक लगातार काबिज काश्त कर रहे है जिसके प्रमाण के लिए ग्रामवासियो अर्थात पड़ौसी काश्तकारो के शपथ पत्र व खसरा परिवर्तनशील प्रमाण हेतु प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। प्रार्थीगण का निरन्तर बिना बाधा के सद्भाविक कृषक के रूप में काबिज काश्त 31–32 वर्षों से करते आ रहे है जिससे प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियमों व प्रावधानो के अनुसार मुखालफाना कब्जे के आधार पर खातेदारी की उद्घोषणा की डिकी प्राप्त करने के कानूनी अधिकार परिपक्व हो चुके है। प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी में लगातार 31–32 वर्षों से काबिज रहने एवं प्रमाण सिद्ध करने से प्रशासन गाँवो के संग

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

अभियान 2013 शिविर प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमान् शिविर प्रभारी अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 26.02.2013 को पत्र क्रमांक/प्र.गा.संग.अभि. 2013/1360 जिसमें आदेश दिये गये कि पूर्व विधिक कार्यवाही कर आवंटन / नियमन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे परन्तु अप्रार्थी किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करने एवं प्रार्थीगण को धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही कर भौतिक बैदखल के आदेश पारित कर दिये एवं अन्य व्यक्तियों को आवंटन करने की मंशा से यह व्यथित आदेश पारित किये है जिससे प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 11.03.2013 को धारा 80 सी.पी.सी. के तहत श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अजमेर एवं अप्रार्थी को विधिक हिदायत द्वारा आवंटन/ नियमन हेतु नोटिस 2 माह का दिया गया था परन्तु दो माह की अवधि पश्चात् भी अप्रार्थी व जिला कलक्टर महोदय का जवाब नहीं आने से श्रीमान् के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा अलग से उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है जब कि अप्रार्थी व श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिनांक 12. 03.2013 को प्राप्त हो चुका है जिसकी डाक विभाग की रसीद व पावती रसीद प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है एवं अप्रार्थी द्वारा शिविर प्रभारी द्वारा दिनांक 26.02.2013 को निर्देशो की पालना न कर प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 एल. आर एक्ट की कार्यवाही कर भौतिक बेदखल के आदेश कर पुनः धारा 91 (3) के तहत कार्यवाही करने पर उतारू होने एवं अन्य व्यक्तियों को उक्त आराजी बाबत् परिलाभ पहुंचाने की नियत है। जिससे प्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण के कृषकिय कार्य में दखलंदाजी नहीं करे एवं न ही अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा करवावे एवं न ही उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करे। अप्रार्थी द्वारा धारा 91 एल.आर.एक्ट के आदेश दिनांक 08.3.2013 को मार्फत भौतिक कब्जा हटाने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने कारण प्रथम बार उत्पन्न हुआ तत्पश्चात् श्रीमान् शिविर प्रभारी अधिकारी महोदय, किशनगढ़ द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 26.02.2013 को जाँच कर कमेटी के समक्ष हेतु निर्देशित देने पर भी कार्यवाही नहीं करने से अन्तिम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण अप्रार्थी को धारा 80 सी.पी.सी. के तहत दो माह में आवंटन नियमन हेतु दिनांक 11.03. 2013 को विधिक नोटिस देने पर व इस नोटिस की उचित कार्यवाही नहीं करने एवं नोटिस का प्रतिउत्तर नहीं देने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 11.05.2013 को उत्पन्न होकर सतत् जारी है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण को विगत 30 वर्षो से निर्बाध रूप से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की श्रीमान से प्रार्थना है कि ग्राम खातोली के पूर्व खसरा नम्बर 563 वर्तमान खसरा नम्बर 428 कुल रकबा 85 बीघा 13 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि में प्रार्थीगण के कृषकिय कार्य एवं कब्जे काश्त में किसी तरह की मदाखलत, बाधा कारित नही करने की अस्थायी निषेधाज्ञा तामूल वाद फैसला बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी जरिये उसके अधिनस्थ कर्मचारी फरमाई जावे। प्रार्थीगण की काबिज काश्त की आराजी खसरा संख्या 563 वर्तमान खसरा संख्या 428 कुल रकबा 85 बीघा 13 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि का आवंटन / नियमन अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं करे अर्थात मौका व रिकोर्ड की यथास्थिति ताफैसला मूल वाद बनाये रखने हेतु बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावे।

2. प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.05.2013 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी करवाई गई। दिनांक 23.05.2017 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा जाहिर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

किया गया. कि वाद वर्णित भूमि नाकाबिल काश्त सिवाय चक भूमि होकर वादीगण को दिनांक 14–07–1987 को खसरा संख्या 563 में से 10 बीघा भूमि राजस्थान भू.राज. (निजी वन विकास हेतु) अकृमि बंजड भूमि का आवंटन नियम 1996 के तहत आवंटन हुई, जो आवंटन शर्तों का पालन नहीं करने से दिनांक 30–9–92 को वादी को आवंटन निरस्त कर बेदखल कर दिया गया। वाद तथ्यों से परे, मनगढन्त एवं अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं होने व तथ्यों को छुपाकर सिमयचक भूमि पर अतिक्रमण कर भूमि हडपने की नियत का होने से दावा सव्यय खारीज योग्य होने से प्रार्थीगण को सफलता की कतई गुंजाइश नहीं है। प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं होने से खारीज योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण से 2 से 11 अस्वीकार है। वर्णित भूमि सिवायचक भूमि है। निजी वन विकास हेतु भूमि आवन्टन निरस्त दिनांक 30–09–1992 के पश्चात जब–जब वादीगण द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया तब–तब नियमानुसार कार्यवाही में पीठासीन अधिकारी द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर विधिवत रूप से बेदखली की गई है। प्रार्थीगण का निरन्तर एवं निर्बाध कब्जे का कथन एवं विगत 31–32 वर्षों से कब्जा काश्त का कथन असत्य होने से अस्वीकार है। तथा भूमि सिवायचक होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण राजहित का है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में कतई नहीं है। । श्रीमान से निवेदन है कि वर्तमान में वादअधीन भूमि राजकीय भूमि होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

3. दिनांक 08.04.2025 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा धारा 212 राज.का.अधि. के प्रार्थना पत्र का तीन बिन्दुओं पर विवेचन किया गया।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि में प्रार्थी वर्तमान में खातेदार नहीं है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया है जिससे वादअधीन भूमि में उसका हक जाहिर हो, जबकि वादअधीन भूमि राजकीय भूमि है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः– वादअधीन भूमि में प्रार्थी की खातेदारी दर्ज नहीं है, वादअधीन भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि है जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है।

अपूरणीय क्षतिः– अप्रार्थीगण वादअधीन भूमि में खातेदार नहीं है वादअधीन भूमि राजकीय भूमि है जो कि अप्रार्थी के नाम दर्ज है, अपूरणिय क्षति अप्रार्थी का कारित है।

प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणिय क्षति को सिद्ध करने में असफल रहें है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28/4/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

निशा सहरण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)